वित्तीय दिशा निर्देश

कार्यक्रम का नाम– प्रसव पूर्व लिंग जाँच (दुरूपयोग निवारण अधिनियम) (PNDT)

बजट/एफ०एम०आर० शीर्ष– Other PNDT Activities (Monitoring of Sex Ratio at Birth)

बजट क्रम संख्या /एफ०एम०आर० कोड संख्या– A.7.2

कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण –

शिक्षा के प्रसार के साथ–साथ एक तथ्य जो स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है वह है लड़के के जन्म को विशेष प्राथमिकता देना एवं बच्चियों की संख्या में निरंतर आती गिरावट । जैसा कि आप अवगत है, बिहार राज्य में महिला लिंग अनुपात 919 (सेंसस 2001) से 916 (सेंसस 2011) हो गया है एवं कन्या लिंग अनुपात (0 से 6 वर्ष) जो 942 (सेंसस 2001) था वह 933 (सेंसस 2011) हो गया है । यह अत्यंत चिन्तनीय विषय है ।

विज्ञान में होने वाली प्रगति एवं अल्ट्रासाउंड की वर्तमान तकनीक में आता हुआ निरंतर विकास भी लिंगानुपात में आती गिरावट के लिए जिम्मेवार है । इस विषय का बहुत गंभीरता से निराकरण करने की आवश्यकता है । स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि के रूप में जहाँ एक ओर हमें सामाजिक स्तर पर लड़के एवं लड़की में विभेद करने के विरूद्ध जागरूकता लानी है वहीं अपने तंत्र को भी सशक्त बनाते हुए पी0सी0 एवं पी0एन0डी0टी0 संबंधित कानून को सख्ती से लागू करने की व्यवस्था भी करनी है । पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण किया जाना आवश्यक है ।

निरीक्षण के लिये सुविधाएँ–

1. प्रत्येक आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र, परिचर्यागृह, अस्पताल, संस्थान या कोई अन्य स्थान जहाँ गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या लिंग के प्रसव पूर्व अवधारण के लिये किसी प्रक्रिया, तकनीक को करने में सक्षम मशीन या उपस्कर प्रयोग किया जाता है, स्थान, उपस्कर और अभिलेखों के निरीक्षण के लिये सभी उपयुक्त सुविधाएँ, अधिनियम के अधीन ऐसे संस्थाओं के वे चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, रजिस्ट्रीकरण के लिये, या ऐसी सुविधाओं के दुरूपयोग का पता लगाने के लिये या उनके विज्ञापन के लिये या गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या भ्रूण के लिंग का पता लगाने/प्रकट करने या किसी अन्य रीति से अधिनियम के उपबंधो के अतिलंघन के मामलों का पता लगाने के लिये, समुचित प्राधिकारी को या समुचित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी चिकित्सा पदाधिकारी एवं/या रेडियोलॉजिस्ट, पेड्राटिसीयन, गायकनोलॉजिस्ट, एन0जी0ओ, वकील को उपलब्ध कराएगा ।
2. समुचित प्राधिकारी या उनके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, ऐसे किसी संगठन द्वारा प्रयुक्त, भ्रूण के लिंग का पता लगाने में समर्थ किसी अल्ट्रासाउंड मशीन, स्केनर या किसी अन्य उपस्कर को मुहरबंद कर सकेगा और अधिग्रहण में ले सकेगा यदि संगठन ने अधिनियम के अधीन अपना रजिस्ट्रीकरण नहीं करवाया है । संगठन की ये मशीनें तभी निर्मोचित की जा सकेंगी जब ऐसे संगठन संबद्ध समुचित प्राधिकारी को रजिस्ट्रीकरण फीस के पांच गुना के समतुल्य शास्ति का संदाय करेगा और यह वचनबंध देगा कि वह गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या भ्रूण के लिंग का पता नहीं लगाएगा ।

तलाशी और अधिग्रहण के लिये प्रक्रिया

1. समुचित प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी, किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, बही, पेम्फलेट, विज्ञापन या वहां पाई गई किसी अन्य सारभूत वस्तु की तलाशी और परीक्षा के प्रयोजनों के लिये दो या अधिक स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में किसी आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, इमेजिंग क्लिनिक केन्द्र या अल्ट्रासाउंड क्लिनिक में सभी उचित समयों पर प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा और यदि यह विश्वास करने के कारण हैं कि उससे अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के किए जाने का साक्ष्य मिल सकेगा तो उसे मुहरबंद ओर अभिगृहीत कर सकेगा ।
2. आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र में पाये गये और अभिगृहीत किसी दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या किसी अन्य तात्विक वस्तु की सूची अभिग्रहण करने वाले स्थान पर दो प्रतियों में तैयार की जायगी । ऐसी सूची की दोनों प्रतियों के प्रत्येक पृष्ठ पर समुचित प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा और

अभिग्रहण साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे : परन्तु यह सूची साक्षियों की उपस्थितियों में अभिग्रहण के स्थान से भिन्न किसी स्थान पर हो सकेगा, यदि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जायेंगे, अभिग्रहण करने के स्थान पर सूची तैयार करना साध्य नहीं है ।

3. उपनियम 2 में निर्दिष्ट सूची की एक प्रति अभिस्वीकृति के अधीन उस व्यक्ति को दी जाएगी जिसकी अभिरक्षा से दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या कोई अन्य तात्विक वस्तु अभिग्रहण की गई है : परन्तु अभिग्रहीत ऐसे दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या अन्य तात्विक वस्तु की सूची की एक प्रति अभिस्वीकृति के अधीन (आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र) के स्वामी या प्रबंधक को परिदत्त की जा सकेगी या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजी जा सकेगी, यदि अभिगृहीत दस्तावेज, अभिलेख, रजिस्टर, पुस्तक, पैम्फलेट, विज्ञापन या कोई अन्य तात्विक वस्तु की अभिरक्षा को अभिस्वीकार करने वाला कोई व्यक्ति अभिगृहरण करने के स्थान पर उपलब्ध नहीं है ।
4. यदि अभिगृहीत कोई तात्विक वस्तु विनश्वर प्रकृति की है तो समुचित प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी तात्विक वस्तु को मुद्रांकित करने, उसकी पहचान तथा उसके परिरक्षण के लिये तत्परतापूर्वक प्रबंध करेगा और यदि उसका विश्लेषण या परीक्षण अपेक्षित है तो उसे विश्लेषण या परीक्षण के लिये वहां भी भेजेगा जहां ऐसी सुविधा है : परन्तु ऐसी विनश्वर तात्विक वस्तु परिरक्षण करने के लिए (आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र) द्वारा प्रयुक्त प्रशीतक या अन्य उपस्कर को ऐसे समय तक मुद्रांकित किया जा सकता हो और ऐसी संभाव्यता में (आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र) के परिसरो में अभिगृहीत तात्विक वस्तु को रखने का उल्लेख अभिग्रहण की सूची में किया जायें
5. तलाशी और अभिग्रहण संक्रिया के पूरा न करने की दशा में, समुचित प्राधिकारी या इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी अभिगृहीत किये जाने वाले दस्तावेजों, अभिलेखों, पुस्तक, या किसी अन्य तात्विक वस्तु को सुरक्षित रखने, सूचीबद्ध करने और हटाने के लिए ऐसे दस्तावेजों, अभिलेखों, पुस्तकों या किसी तात्विक वस्तु में किसी गड़बड़ी को रोकने के लिये (आनुवंशिक परामर्श केन्द्र, आनुवंशिक प्रयोगशाला, आनुवंशिक क्लिनिक, अल्ट्रासाउण्ड क्लिनिक, इमेजिंग केन्द्र) के परिसरों में गार्ड रखकर या मुद्रांकित करके प्रबंध कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण – इन नियमों में –

1. आनुवंशिक प्रयोगशाला / आनुवंशिक क्लिनिक / आनुवंशिक परामर्श केन्द्र के अंतर्गत कोई अल्ट्रासाउंड केन्द्र / इमेजिंग केन्द्र / परिचर्यागृह / अस्पताल / संस्थान या कोई अन्य स्थान, वह चाहे जिस नाम से ज्ञात हो, जहाँ गर्भधारण पूर्व या बाद लिंग चयन या भ्रूण के लिंग का प्रराव पूर्व पता लगाने के लिये कोई प्रक्रिया, तकनीक या परीक्षण करने के लिये समर्थ मशीन या उपस्कर उपयोग में लाया जाता है, सम्मिलित होंगे
2. सारभूत वस्तु के अंतर्गत अभिलेख, मशीनें और उपस्कर सम्मिलित होंगे और
3. अभिगृहीत और अभिग्रहण के अंतर्गत क्रमशः मुहरबंद और मुहरबंद करने सम्मिलित होंगे ।

इकाई राशि (रू० में)– 100000 / – रूपये प्रति जिला

वित्तीय दिशा निर्देश : पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 एक्ट को प्रभावी रूप से क्रियान्वयन हेतु अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए 100000 / – रूपये प्रति जिला आवंटित की जा रही है । अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण टीम गठित कर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर तक समय–समय पर किया जाना है ।

प्रतिवेदन : पी0सी0 एण्ड पी0एन0डी0टी0 कार्यक्रम के अंतर्गत विहित रिर्पोटिंग फोरमेट (Format I & II) तथा तिमाही प्रतिवेदन ससमय उपलब्ध कराना जिला कार्यक्रम प्रबंधक की जवाबदेही है (प्रपत्र संलग्न) ।

इस संदर्भ में पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या एवं तिथि :

(क) पत्रांक 25846 दिनांक 03.05.11

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का नाम–डा० एन0 के0 मिश्रा, राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी

संबंधित कार्यक्रम अधिकारी / सलाहकार का फोन नंबर–9470003022

PC & PNDT Reporting Format - I

Name of Dist.	DAA notified; Date of Notification	DAA Notified/Status of delegation/Date of Notification	Dist. Advisory Committee (DAC) constituted/meetings held in 2010-11/date of notification	DIMC constituted (Monitoring Committee)	No. of inspections by DIMC in 2010-11	Status/QPR (Copies of QPR for last quarter of 2010-11) may be provided

PC & PNDT Reporting Format - II

Name of Dist.	No. of Machines/clinics registered upto March 2011	No. of cases registered for violations of PNDT Act, 1994	No. of machines/clinics seized/sealed due to violations of PNDT Act	No. of doctors/wrong-doers convicted under PNDT Act, 1994	No. of cases pending in court

5.	Number of applications for registration rejected, in respect of: (a) Genetic Counselling Centres (b) Genetic Laboratories (c) Genetic Clinics (d) Jointly as Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic or any combination thereof (e) Any other Body/person using Ultrasound Machine		
6.	Number of renewals of registration in respect of: (a) Genetic Counselling Centres (b) Genetic Laboratories (c) Genetic Clinics (d) Jointly as Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic or any combination thereof (e) Any other Body/person using Ultrasound Machine		
7.	Number of premises inspected by the Appropriate Authorities or persons authorized by the Appropriate Authorities during the quarter in respect of: (a) Genetic Counselling Centres (b) Genetic Laboratories (c) Genetic Clinics (d) Jointly as Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic or any combination thereof (e) Any other Body/person using Ultrasound Machine		
8.	Number of suspensions or cancellations of registrations under section 20 of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 in the State/UT in respect of: (a) Genetic Counselling Centres (b) Genetic Laboratories (c) Genetic Clinics (d) Jointly as Genetic Counselling Centre/Genetic Laboratory/Genetic Clinic or any combination thereof (e) Any other Body/person using Ultrasound Machine (Please give details on a separate sheet)		
9.	Action to create public awareness against the practice of pre-natal determination of sex and female foeticide through: (a) Print Media (b) Electronic Media (c) Hoarding (d) Other appropriate means (Please give details on separate sheet)		

10.	(a) Action taken to ensure that the intervening period between meetings of Advisory Committees does not exceed 60 days. (b) Dates of the meetings of the Advisory Committees held after (Please give details on separate sheet)		
11.	Action taken to appoint Appropriate Authorities and Advisory Committees at district and sub-district levels. (Please give details on separate sheet including appointment of such persons on Advisory Committees who can devote some time)		
12.	Action taken to public list of Appropriate Authorities through: (a)Print Media (b)Electronic Media (c)Hoardings (d)Any other appropriate means (Please give details on separate sheet)		
13.	Action taken against any person or body who issued or caused to be issued any advertisement in violation of section 22 of the Act.		
14.	Action taken against all bodies specified in section 3 of the Act i.e. Genetic Counselling Centres, Genetic Laboratories, Genetic Clinics (including bodies using ultrasound machines), as also against the person who are operating without a valid certificate of registration under the Act.		
15.	Information/Report on survey of bodies specified in Section 3 of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 i.e. Genetic Counselling Centres, Genetic Laboratories, Genetic Clinics (including bodies using ultrasound machines). (Please give details on separate sheet)		
16.	Action taken against non-registered bodies operating in violation of Section 3 of the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 i.e. Genetic Counselling Centres, Genetic Laboratories, Genetic Clinics (including bodies using ultrasound machines) **inclusive of search and seizure of records.** (Please give details on separate sheet)		
17.	Number of complaints received by the Appropriate Authorities under the Act and action taken pursuant thereto. (Please give details on separate sheet)		

18.	Number and nature of the awareness campaigns conducted and results flowing there from. (Please give details including details of advertisements/posters/handbills etc. on separate sheet)		
19.	Number of complaints filed in the court in the State/UT under the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 (by Appropriate Authorities or by others). (Please give details on separate sheet)		

Certified that all bodies/persons using ultra-sound machines capable of detecting sex of foetus in my area of jurisdiction have been registered under the Pre-natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Act, 1994 and prosecution has been launched against those who have not got themselves registered.

Date:

Signature

Place

Name and Designation

(On behalf of State Government/ U.T. Administration)